



2026:AHC:6779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19389 वर्ष 2025

तुलसी प्रसाद सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

हर्षित श्रीवास्तव, शिखर त्रिवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिखर त्रिवेदी और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 08.10.1984 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुईं, हालांकि, उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कमांडेंट, 33वीं बटालियन, पीएसी, झांसी, उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 03.01.2025 को एक निर्देश प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को 13,72,318/- रुपये की 90% ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था, जिसमें 9,24,120/- रुपये की छूट नकदीकरण और 10% ग्रेच्युटी के साथ 82,900/- और गणना 11,18,973/- रुपये का भी भुगतान किया गया था।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उसी पर विरोध किया किया।
5. बार में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, कमांडेंट, 33वीं बटालियन, पीएसी, झांसी, उत्तर प्रदेश के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, तीसरा प्रतिवादी दो माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।
6. आज दाखिल किए गए दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

आदेश दिनांक : 12 जनवरी, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।